

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-11\*/2020-21

देवन्ती देवी ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य ..... द्वितीय पक्ष

## आदेश

आवेदिका देवन्ती देवी, पति- छोटी यादव, ग्राम- बगोदरडीह, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 17 R27/2020-21 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
बगोदर		112	4843	36.5 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में दाखिल-खारिज अपील वाद प्रारम्भ कर विभिन्न तिथियों में सुनवाई कर उभय पक्षों को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर भाईयों में आपसी बंटवारे संबंधी विवाद रहने के कारण दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत कर दिया गया है।

सुनवाई के क्रम में उभय पक्षों द्वारा न्यायालय में आपसी सहमति पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आपत्तिकर्ता छोटन यादव पिता- दीपना गोवार, ग्राम- बगोदरडीह, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा अनुरोध किया गया है कि मेरे द्वारा किया गया आपत्ति आपस में सुलह हो गई है।

अतः समर्पित सहमति पत्र एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोरांत अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा पारित आदेश से असहमत होते हुए वाद की कार्यवाही को पुनः सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु अभिलेख अंचल कार्यालय, बगोदर को वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)